(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 120 **नई दिल्ली**, 28 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, चेन्नै पत्तन न्यास स्थित चेन्नै इन्टरनेशनल टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रचालनों के लिए अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है ।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/10/2009-सीआईटीपीएल

चेन्नै इंटरनेशनल टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड आवेदक

आ दे श

(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित किया गया)

यह प्रकरण चेन्नै पत्तन न्यास स्थित चेन्नै इंटरनेशनल टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईटीपीएल) के प्रचालनों की वर्तमान अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था के विस्तार से संबंधित है ।

2. सीआईटीपीएल के प्रचालनों के लिए इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी/10/2009-सीआईटीपीएल दिनांक 15 मई 2009 के माध्यम से आरम्भ में अनुमोदित अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था 30 जून 2009 तक वैध थी । अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था की वैधता पिछली बार दिनांक 23 अक्तूबर 2009 के आदेश के माध्यम से 31 मार्च 2010 तक विस्तारित की गई थी ।

3. प्रशुल्क तय किए जाने के लिए सीआईटीपीएल के प्रस्ताव को परामर्श पर लिया गया है । सीआईटीपीएल और सीपीटी ने अतिरिक्त सूचनाएँ / स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिए हैं जिनकी जाँच पड़ताल की जा रही है । परामर्शी प्रक्रिया के रू प में संयुक्त सुनवाई का आयोजन अभी किया जाना है । इसको देखते हुए इस प्राधिकरण द्वारा इस पर अंतिम विचार विमर्श को अभी कुछ और समय लगेगा । सीआईटीपीएल ने दिनांक 18 मार्च 2010 के अपने पत्र द्वारा, अन्य बातों के साथ वर्तमान प्रशुल्क की वैधता 3 माह की एक और अवधि के लिए विस्तारित करने का अनुरोध किया है ।

4. चूंकि अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था की वैधता 31 मार्च 2010 को समाप्त होगी, इसलिए वर्तमान व्यवस्था की वैधता को उस तिथि से आगे बढ़ाना आवश्यक हो गया है । इसलिए, यह प्राधिकरण वर्तमान अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था की वैधता 30 सितम्बर 2010 तक अथवा सीआईटीपीएल के लिए संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तार प्रदान करता है ।

5. इसके प्रचालन के आरम्भ की तिथि से, सीआईटीपीएल द्वारा ग्राह्य लागत और इसके द्वारा अनुमेय अर्जित प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष होगा तो उसे, निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूरीतरह समायोजित किया जाएगा.

(रानी जाधव)
अध्यक्ष